

न्यायालय सिविल जज जू० डि० भदोही ज्ञानपुर।

मु० नं० 1117 सन् 2022

केदारनाथ दूबे बनाम उ० प्र० राज्य आदि।

दिनांक: 05.08.2024,

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादी अनुपस्थित। वादी नियत तिथि तक उपस्थित नहीं आया और न ही कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी की रुचि वाद को चलाने की नहीं है। अतः दावा वादी निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति में आदेश 9 नियम 3 जा० दी० में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

सिविल जज (जू० डि०)

भदोही ज्ञानपुर।